संख्या–556 / बीस–6 / 01(08)2007

प्रेषक,

जे0पी0जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड,
हरिद्वार।

गृह अनुभाग–6, देहरादून। दिनांक– 06 मई, 2009

विषय– सहायक अभियोजन अधिकारी के पद की परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम के अनुमोदन एंव क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः–761 / 04 / ए.पी.ओ. / पाठ्यक्रम / गोपन / 2006, दिनांक–13.04.2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु संशोधित परीक्षा–योजना एंव पाठ्यक्रम पर शासन के अनुमोदन की अपेक्षा की गयी है। अतः इस संबंध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पद की परीक्षा हेतु आयोग द्वारा निर्धारित संशोधित परीक्षा–योजना एंव पाठ्यक्रम (प्रति संलग्न) के अनुसार परीक्षा कराये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

2– इसके अतिरिक्त कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनाधीन आयोजित बैठक दिनांक–01.05.2009 में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु प्रेषित अधियाचन दिनांक–17.11.2008 में क्षैतिज आरक्षण की सभी 06 उप श्रेणियों के अर्न्तगत रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट कर, लोक सेवा आयोग को प्रेषित करने के निर्देशानुसार मुझे निम्नांकित रुप में क्षैतिज आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने का निदेश भी हुआ है :–

अधियाचन में दर्शाया गया मूल आरक्षण	अधियाचन में दर्शाये गये आरक्षण के अनुसार पदों की संख्या	मूल आरक्षण के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण की स्थिति					
		महिलायें 30 %	भूतपूर्व सैनिक 5%	विकलांग 3%	स्वतत्रंता संग्राम सेनानियों के आश्रित 2%	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी 10%	विशिष्ट खिलाड़ी 04%
अन्य पिछड़ा वर्ग	6	2	–	–	–	1	–
अनुसूचित जाति	11	3	1	–	–	1	–
सामान्य वर्ग	21	6	1	1	–	2	1
योगः–	**38**	**11**	**2**	**1**	**–**	**4**	**1**

अतः अनुरोध है कि सहायक अभियोजन अधिकारियों के 38 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु तत्काल विज्ञप्ति प्रकाशित कर चयन की कार्यवाही सम्पन्न कराते हुये, आयोग की संस्तुति से शासन को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे0पी0जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–556(1)/बीस–6/01(08)2007, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि, निदेशक, अभियोजन उत्तराखण्ड देहरादून को प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।